



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1025]
No. 1025]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2005/आश्विन 4, 1927
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2005/ASVINA 4, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2005

(आयकर)

का.आ. 1392(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 3 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में, क्रम संख्याएं 53 एवं 56 के लिए और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारियों का	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणियां	मामले अथवा मामलों की श्रेणियां
1	2	3	4	5	6
53	आयकर आयुक्त राजकोट-1	राजकोट गुजरात	गुजरात राज्य में— (क) राजकोट सं. 6, 10, 13, 14, 15, 17 एवं 18 का नगर निगम क्षेत्र (दिनांक 16 मई, 1988 की राजकोट नगर निगम अधिसूचना के अनुसार)	(क) कॉलम 6 की मद (क) में सन्दर्भित व्यक्ति, कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त वाली कम्पनियों से भिन्न होने और कॉलम 4 की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रहने के कारण;	ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य स्रोत वेतन से भिन्न है और कॉलम (5) की मद (क), (ख) और (ग) में समनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित है।

1	2	3	4	5	6
			(ख) राजकोट के राजस्व जिले के तालुक :- (i) वंकानेर (ii) कोटवा संगानी (iii) लोधिका (iv) राजकोट (v) गोण्डल (vi) जैतपुर (vii) अपलेटा (ग) कच्छ जिला	(ख) कॉलम 6 की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न होने के कारण और जिसके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर; (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी होने के नाते कॉलम 6 की मद संख्या (क) में उल्लिखित व्यक्ति और कॉलम 4 की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय; (घ) कारबार अथवा व्यवसाय की आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न होने के नाते कॉलम 6 की मद संख्या (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों और कॉलम 4 की मद संख्या (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास; (ङ) कारबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न होने के नाते कॉलम 6 की मद संख्या (ख) में उल्लिखित ऐसे व्यक्ति जिनके कारबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 की मद संख्या (ग) उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (च) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते कॉलम 6 की मद संख्या (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों और कॉलम 4 की मद संख्या (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय;	(ख) कॉलम 5 की मद संख्या (घ), (ङ) तथा (च) में संगत प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
56	आयकर आयुक्त जामनगर	जामनगर गुजरात	गुजरात राज्य में— जामनगर एवं पोरबन्दर के जिले	(क) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले एवं कारोबार अथवा व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय लेने वाले कॉलम 6 में उल्लिखित कम्पनियों के अलावा होने के नाते संदर्भित व्यक्ति; (ख) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर जिसका मुख्य कारोबार क्षेत्र है एवं कारोबार एवं व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियां होने के नाते कॉलम 6 में उल्लिखित व्यक्ति; (ख) कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी होने के नाते कॉलम 6 में उल्लिखित व्यक्ति।	कॉलम 5 की मद (क), (ख) एवं (ग) में संगत निविष्टियों में उल्लिखित व्यष्टियों के सभी मामले।

[अधिसूचना सं. 207/05/फा. सं. 187/17/2004-आ.क.नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, 3 जुलाई, 2001 को सं. का.आ. 732(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी एवं बाद में दिनांक 30-8-2001 के (1) सं. का.आ. 846(अ); दिनांक 29-10-2001 के (2) सं. का.आ. 1064(अ); दिनांक 19-3-2002 के (3) सं. का.आ. 315(अ); दिनांक 30-7-2002 के (4) सं. का.आ. 810(अ); दिनांक 22-10-2002 के (5) सं. का.आ. 1104(अ); दिनांक 4-2-2003 के (6) सं. का.आ. 128(अ); दिनांक 8-1-2004 के (7) सं. का.आ. 27(अ); दिनांक 8-1-2004 के (8) सं. का.आ. 28(अ); एवं दिनांक 13-5-2004 के (9) सं. का.आ. 570(अ) के तहत संशोधित की गई थी।